


63

1

III/निग०/सिगरौली/भू 20/2017/343

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)



दिनेश प्रसाद पिता गोरखनाथ पाठक, निवासी ग्राम छीवा, तहसील
देवसर, जिला सिगरौली (म0प्र0)

आवे० श्री दिनेश प्रसाद
पाठक डाटा 22-9-2017

—आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट)

1- अरुण कुमार पिता गोरखनाथ पाठक, निवासी ग्राम छीवा, तहसील
देवसर, जिला सिगरौली (म0प्र0)

मोहम्मद सलाम तनय अब्दुल करीम मुसलमान, निवासी ग्राम नौढ़िया
आवाद, तहसील देवसर, जिला सिगरौली (म0प्र0)

—अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व
संहिता सन् 1959 ई०

अपील प्रकरण क्र०-53/अपील/11-12
न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा
संभाग रीवा (म0प्र0) कैम्प सीधी द्वारा निर्णीत
प्रकरण आदेश दिनांक 31/05/2017

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

- 1- यह कि दिनेश प्रसाद तनय गोरखनाथ पाठक, निवासी ग्राम छीवा, तहसील देवसर, जिला सिगरौली (म0प्र0) के द्वारा निगरानी प्रस्तुत की जा रही है ।
- 2- यह कि दिनेश पाठक द्वारा बटवारा में उक्त नम्बर की बटवारा में रजिस्ट्री करायी गई थी अरुण कुमार को जिसकी चौहददी


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक सा.नि.ग. सिगोलेली/२.१.२०१७/१५३३

जिला- सिगोली

पक्षकार का नाम दिनेश प्रसाद वि. कृष्ण कुमार

(1)	(2)	(3)
27.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2-आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	